निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/2020	28.09.2020	20.2.2026

सन्तोषी खां पुत्र श्री मीरू खां जाति मुसलमान निवासी शाहीन स्कूल के पास, दशहरा मैदान, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. इस्लामुद्दीन खां पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी ।
2. अजोध्या देवी पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी प्राईवेट बस स्टैण्ड कालोनी, गंगापुर सिटी ।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री अनिल कुमार गुप्ता, एडवोकेट, प्रति० नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 23 रकबा 1.27 है० ग्राम मिर्जापुर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भी प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराए बिना ही वादग्रस्त आराजी में से भूखण्ड विभिन्न लोगों को विक्रय करने पर आमा है। वादी की सहमति के बिना प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस तरह भूखण्ड बनाकर भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। दि० 31.8.2020 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उक्त आराजी का मौके व रिकार्ड में अपने अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विभाजन कराने से स्पष्ट मना कर दिया एवं वे भूमि का विभाजन कराए बिना ही भूमि को खुर्दबुद करने पर आमादा हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी ख०नं० 23 रकबा 1.27 है० ग्राम मिर्जापुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उनके हिस्से अनुसार सरस नरस से विभाजन किया जाकर उक्त आराजी के [illegible] रिकार्ड में तदनुसार दुरूस्ती फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी [illegible] के मध्य विधिवत रूप से विभाजन हुए बिना उक्त आराजी के किसी भी हिस्से को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.2? 15:?? [illegible]
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

तरह खुर्दबुर्द नहीं करें ना ही उक्त आराजी को भूखण्डो के रूप में विक्रय नहीं करें तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जिससे उक्त आराजी के उपयोग उपभोग वादी में कोई मजाहमत पैदा ना हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी नं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रतिवादी नं0 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 ने कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया एवं दिनांक 16.8.2023 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया।

वादपत्र के साथ वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 4 ग्राम मिर्जापुर, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

वकील वादीगण का वाद दिनांक 16.08.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/5328 दिनांक 06.11.2025 से रिपोर्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गया।

बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि भूमि ख0न0 23 ग्रा मिर्जापुर मे मौके पर पक्के माना बने है एवं घनी आबादी बसी हुई है। जिसके कारण बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नही है। अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी ने मौके पर बने निर्माण के फोटोग्राफ्स संलगन किये है। मौके पर आबादी बसे होने तथा मकानात का निर्माण किये जाने के कारण वादी का दावा खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि भूमि ख0न0 23 ग्राम मिर्जापुर पर बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग मे लिये जाने के कारण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २०.०२.[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

आज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

सन्तोषी खां पुत्र श्री मीरू खां जाति मुसलमान निवासी शाहीन स्कूल के पास, दशहरा मैदान, गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. इस्लामुद्दीन खां पुत्र गफूर खां जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास, गंगापुर सिटी ।
2. आजोध्या देवी पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता जाति महाजन अग्रवाल निवासी प्राईवेट बस स्टैण्ड कालोनी, गंगापुर सिटी ।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 76/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री अनिल कुमार मित्तल एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि भूमि ख0न0 23 ग्राम मिर्जापुर पर बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग मे लिये जाने के कारण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.2.2026 को जारी की गयी।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची	
महनताना वकील			महनतानावकील पर	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
वावत इजराय			वावत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested